



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

Ph. No :- 01363-271224

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 445 / 36सी0
सेवा में,

दिनांक 10.03.2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ, वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषय :- जनपद चमोली के अन्तर्गत परखाल-केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 से ग्राम कुश व कुशमहादेव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.753 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
सन्दर्भ :- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्र संख्या 2068/1जी0-5084 (monitoring) दिनांक 05.02.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि विषयगत मोटर मार्ग की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1028/36सी0 दिनांक 10.07.2019 एवं पत्रांक संख्या 1132/36सी0 दिनांक 05.10.2020 द्वारा पूर्व ही प्रेषित की चुकी है। जोकि अनुपालन आख्या पुनः आवश्यक कार्यवाही प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
01	शर्त संख्या - 01 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.506 हे. एवं उनके 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु हेतु 3.506 हे0×2,53,322.00 =रु0 8,88,147 देय धनराशि (रु. आठ लाख अठ्ठासी हजार एक सौ सैतालीस) मात्र वन विभाग के पक्ष में धनराशि जमा की जानी है। उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जान	आ0टी0जी0एस0एस0बी0आई0एन0 52019020500076921 दिनांक 05.02.2019 द्वारा जमा किया जा चुका है। रु. 8,88,147 (रु. आठ लाख अठ्ठासी सौ हजार एक सौ सैतालीस) मात्र का म्यूटेशन प्रपत्र (संलग्नक-1)
02	शर्त संख्या - 02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007 एफ0सी0दिनांक 05/02/2009 2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार क्षेत्र में प्रभावित वृक्षों की गणना के अनुसार प्रभावित क्षेत्र का हरियाली घनत्व 0.2 open forest ईको क्लास-V की निर्धारित धनराशि 8. 45,000×1.753 हे0 = 11,51,721.00 (रु0 ग्यारह लाख इक्यावन हजार सात सौ इकीस)जमा की जानी है।	आ0टी0जी0एस0एस0बी0आई0एन0 52019020500076921 दिनांक 05.02.2019 द्वारा जमा 11,51,721.00 (रु0 ग्यारह लाख इक्यावन हजार सात सौ इकीस) मात्र वन विभाग के पक्ष जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-1-2)

03	शर्त संख्या-03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत करनी होगी।	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक-3-4)
04	शर्त संख्या 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त संख्या 01 व 2 में देय धनराशि ऑन लाईन चालान के माध्यम से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	उचित ऑन लाईन बैंक में चालान के माध्यम से जमा कर दिया गया है।
05	शर्त संख्या 05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सडक निर्माण पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip planation की जायेगी इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक-5)

अतः अनुरोध है कि उक्त आख्या पुनः अपने स्तर से प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,
थराली।

पत्रांक /36सी0

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लो0नि0वि0, पौड़ी को उनके पत्रांक 931/01 वनभूमि-पौड़ी/2021 दिनांक 24.02.2021 के कम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता सातवां वृत्त लो0नि0वि0, गोपेश्वर को उनके पत्रांक 540/02 यातयात-7/2021 दिनांक 27.02.2021 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,
थराली।

— आदेश —

(2)

834/36

3

सहायक अभियन्ता

जनपद चमोली के अन्तर्गत परखाल-कैदारकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से ग्राम कुश व कुश महादेव तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.753 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 3.506 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/195/2015/एफ०सी०/309 दिनांक 12.05.2016 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी थराली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत परखाल-कैदारकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से ग्राम कुश व कुश महादेव तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.753 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम डांगतोली प०वृ० हरमनी, तहसील नारायण बगड़ की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा० सं०-10 के खसरा सं०-94 रकबा 4775 है० भूमि मध्ये 3.506 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(III)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

प्रतिपत्र लक्ष्मण कर्मनारायण नारायण/कां०
कां० लक्ष्मण एवं कर्मनारायण कां० देव प्रो० (आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।
संख्या: 4890/छबोस-ए० (2016-2017) गोपेश्वर: दिनांक: 26 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, थराली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० ने० वि० थराली।

अभिियन्ता
निर्माण खण्ड लो० ने० वि०
थराली चमोली

25/7/17
जिलाधिकारी,
चमोली।

चक्र 14 महीना

चक्र 14 महीना

DP4006422808170001
DC



1. चक्र 14 महीना

2. चक्र 14 महीना

3. चक्र 14 महीना

4. चक्र 14 महीना

5. चक्र 14 महीना

6. चक्र 14 महीना

7. चक्र 14 महीना

8. चक्र 14 महीना

9. चक्र 14 महीना

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 13-06-2017

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	113106172015205
Location.	UTTARANCHAL
Address.	TharaliChamoli
Amount(in Rs)	2039868/-

Amount in Words :Twenty Lakh Thirty-Nine Thousand Eight Hundred and Sixty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089113106172015205
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

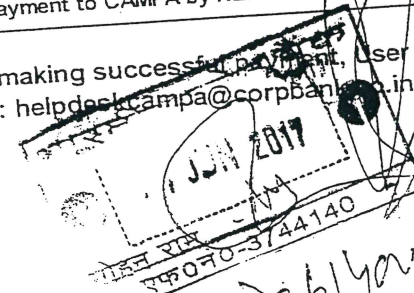
Am

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

द्वारा जीते सत्यापित

After making successful payment, User Agencies may Email: helpdesk.campa@corpbank.in

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोड नि० वि०
थराली चमोली



5201706142067359
Dt. 14.6.17

Amount
100,000.00
100,000.00

Signature
Officer

7060472310

6	FP/UK/ROAD/10617/2015 (../Viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10617/2015)	ROAD10617201520511310617201520512	May 2016	CA: 888147/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1151721/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2039868/-		Fund Demand Verified by: 09 Jun 2017 Nodal Officer On Bank Name: Corporation Bank Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On: 02 Feb 2019 Transaction Date: 05 Feb 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/611812281212WV9HJKushndemand.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD10617201520
---	---	-----------------------------------	----------	---	---	--	--


 10/03/19
 अतिरिक्त अधिकारी
 निर्माण खण्ड चौम निगम
 धरमपुरी (मध्याह्निक)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

Ph. No :- 01363-271224

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

“प्रमाण पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि शर्त संख्या -03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली, चमोली

Pranav
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

Ph. No :- 01363-271224

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

“प्रमाण पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि शर्त संख्या 05 के अनुसार सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली, चमोली, उत्तराखण्ड

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली, (चमोली)